भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2995
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

राजद्रोह का कानून

2995. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के 22वें विधि आयोग द्वारा 'राजद्रोह के कानून के प्रयोग' पर रिपोर्ट संख्या 279 द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने की क्या योजना है;

(ख) क्या सरकार ने धारा 124-ए में संशोधन तैयार करते समय विधि आयोग की रिपोर्ट के अतिरिक्त जनता/अन्य हितधारकों से कोई अभ्यावेदन मांगा है या मांगने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 मई, 2022 के आदेश द्वारा प्रावधान पर स्थगन आदेश के बावजूद भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत दर्ज की गई एफआईआर की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : विभिन्न पणधारियों से व्यापक परामर्श और सुझावों की परीक्षा के ब्यौरे ग्रहण करने के पश्चात् भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरसित कर दिया गया है और संसद द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) जो तारीख 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिए है । भारतीय न्याय संहिता के उपबंध धारा 106 की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा (2) से संबंधित प्रविष्टि के उपबंधों के सिवाय और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त हो गए हैं । भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय दंड़ सहिता की धारा 124क में राजद्रोह से संबंधित उपबंध समाप्त कर दिए गए हैं ।

तथापि, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित नए अपराध को धारा 152 भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुर:स्थापित किया गया है, जो निम्न प्रकार पुन: प्रस्तुत की गई है:-

धारा 152- धारा 152 जो कोई, प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है, वह

आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(ग) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.जी. बोम्बेटकर बनाम भारत संघ (2002) एससीसी 433 का 7 में तारीख 11 मई, 2022 के अपने निर्णय में यह कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारे भारतीय दंड़ सहिता की धारा 124क के अधीन किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत करने या किसी अन्वेषण को चालू रखने या कोई कड़ा कदम उठाने से रोकेगी जब तक यह उपबंध सरकार द्वारा परीक्षित किए जाए ।

****